



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124699

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 11948 वर्ष 2026

अजय

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अजय विक्रम यादव, जितेन्द्र कुमार पांडेय

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार पांडेय, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 241 वर्ष 2025, धारा 307, 331(4), 317(2), 103(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के अंतर्गत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था जो कि मृतक के पुत्र द्वारा दर्ज कराई गई थी जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। तत्पश्चात, आवेदक को एक सोने की बाली और एक देशी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया; उसकी निशानदेही पर एक हथौड़ा और एक चाकू भी बरामद होना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिखाया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि न तो घायल गवाह ने और न ही मृतका ने अपने मृत्युकालिक कथन में यह कहा कि घर में डकैती किए जाने के दौरान आवेदक को पहचाना गया था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र द्वारा गुप्त उद्देश्य (दुर्भावना) से झूठा फंसाया गया है। यद्यपि, आवेदक के विरुद्ध कोई दोषमढ़ने वाली सामग्री (साक्ष्य) नहीं है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त आशुतोष कुमार को इस न्यायालय द्वारा दण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 9571 वर्ष 2026 में आदेश दिनांक 28.03.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अतः, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आवेदक ने सात मामलों के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। आवेदक दिनांक 17.05.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन वे उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी संख्या में लंबित होने के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो **2025** एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. **3038** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में निर्णय के आदेशात्मक निर्देश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
6. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- अजय को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उसी धनराशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, तथा वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के उपरांत किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।
 8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूतियों (जमानतदारों) की पहचान, हैसियत और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
 9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनपत्र के साथ सत्यापित किया गया हो कि 15 दिनों के भीतर प्रमाणित प्रति दाखिल कर दी जाएगी।
 10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
 11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसेी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रे: सूओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 4 वर्ष 2021 निर्णीत 31.01.2023 जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है, के साथ-साथ पीला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 169 वर्ष 2025, निर्णीत 29.05.2026 के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

2 जून, 2026

सी.एस./-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।